

निर्यात निरीक्षण परिषद्

(आई एस ओ 9001 : 2015 प्रमाणित संस्थान)
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

EXPORT INSPECTION COUNCIL

(An ISO 9001:2015 Certified Organisation)
(Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India)

सं. निनिप/प्रशा/जीए/80001/2025/ 1485 -1496

दिनांक: 22 सितंबर, 2025

कार्यालय आदेश सं. 2025/24

विषय- आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सीपीआईओ, एसीपीआईओ एवं एफएए की नियुक्ति के संबंध में।

कार्यालय आदेश संख्या 52/2024, फाइल सं. निनिप/प्रशा/आरटीआई/80001/2024/1055 दिनांक 2 अगस्त 2024 में आंशिक संशोधन करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा डॉ. विनय कुमार, सहायक निदेशक (तकनीकी) को आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के अंतर्गत निर्यात निरीक्षण अभिकरण-कोच्चि में एसीपीआईओ के रूप में नामित किया जाता है।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कुलदीप सिंह
(कुलदीप सिंह)

उप निदेशक (तकनीकी)

सेवा में,

डॉ. विनय कुमार

सहायक निदेशक (तकनीकी)

निर्यात निरीक्षण अभिकरण -कोच्चि

(काप्र)

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक (आई एंड क्यू/सी), निनिप, नई दिल्ली-जानकारी के लिए।
2. अपर निदेशक, निनिप, नई दिल्ली - जानकारी के लिए।
3. श्री सुमित गुप्ता, सहायक निदेशक (तकनीकी), निनिअ-कोच्चि।
4. संयुक्त निदेशक /उप निदेशक (प्रभारी), निनिअ- चेन्नई//दिल्ली/कोच्चि/कोलकाता/मुंबई
5. कंप्यूटर अनुभाग - वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अनुरोध के साथ।
6. कार्यालय आदेश फाइल
7. आरटीआई प्रकोष्ठ



निर्यात निरीक्षण परिषद्

(आई एस ओ 9001 : 2015 प्रमाणित संस्थान)

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

EXPORT INSPECTION COUNCIL

(An ISO 9001:2015 Certified Organisation)

(Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India)

No.EIC/ADMN/GA/80001/2025/1485-1496

Dated: 22nd September, 2025

OFFICE ORDER No. 2025/24

Subject:- Designation of CPIO, ACPIO & FAA at EIC/EIA under RTI Act 2005.

In partial modification of this Office Order No. 52/2024 issued File No. EIC/ADMN/RTI/80001/2024/1055 dated 02nd August, 2024, the Competent Authority has designated Dr. Vinay Kumar, Assistant Director (Technical) as a ACPIO, Export Inspection Agency – Kochi under section 5 (1) of RTI Act 2005.

This issues with the approval of the Competent Authority.

Final
22/9/25

(Kuldeep Singh)

Deputy Director (Technical)

To,

Dr. Vinay Kumar
Assistant Director (Technical)
Export Inspection Agency – Kochi

Copy to:-

1. Director (I & Q/C), EIC, New Delhi- for kind information.
2. The Additional Director, EIC, New Delhi- for kind information.
3. Shri Sumit Gupta, Assistant Director (Technical), EIA-Kochi.
4. The Joint /Deputy Director (I/c), EIA-Chennai/Delhi/Kochi/Kolkata/Mumbai
5. Computer Section – with a request to upload on website.
6. Office Order File.
7. RTI Cell



निर्यात निरीक्षण परिषद्

(आई एस ओ 9001 : 2015 प्रमाणित संस्थान)
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

EXPORT INSPECTION COUNCIL

(An ISO 9001:2015 Certified Organisation)
(Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India)

सं. निनिप/प्रशा/जीए/80001/2025 /1632-1642

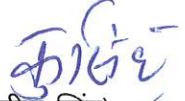
दिनांक: 15 अक्टूबर 2025

कार्यालय आदेश सं. 2025/29

विषय- आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सीपीआईओ, एसीपीआईओ एवं एफएए की नियुक्ति के संबंध में।

कार्यालय आदेश संख्या 52/2024, फाइल सं. निनिप/प्रशा/आरटीआई/80001/2024/1055 दिनांक 2 अगस्त 2024 में आंशिक संशोधन करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा श्री लक्ष्मण मीना, सहायक निदेशक (तकनीकी) को आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के अंतर्गत निर्यात निरीक्षण अभिकरण-दिल्ली में एसीपीआईओ के रूप में नामित किया जाता है।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


(कुलदीप सिंह)

उप निदेशक (तकनीकी)

सेवा में,

श्री लक्ष्मण मीना

सहायक निदेशक (तकनीकी)

निर्यात निरीक्षण अभिकरण -दिल्ली

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक (आई एंड क्यू/सी), निनिप, नई दिल्ली-जानकारी के लिए।
2. अपर निदेशक, निनिप, नई दिल्ली - जानकारी के लिए।
3. संयुक्त निदेशक /उप निदेशक (प्रभारी), निनिअ- चेन्नई//दिल्ली/कोच्चि/कोलकाता/मुंबई
4. कंप्यूटर अनुभाग - वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अनुरोध के साथ।
5.  कार्यालय आदेश फाइल
6. आरटीआई प्रकोष्ठ



निर्यात निरीक्षण परिषद्

(आई एस ओ 9001 : 2015 प्रमाणित संस्थान)

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

EXPORT INSPECTION COUNCIL

(An ISO 9001:2015 Certified Organisation)

(Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India)

No.EIC/ADMN/RTI/80001/2025/1632-1642

Dated: 15th October, 2025

OFFICE ORDER No. 2025/29

Subject:- Designation of CPIO, ACPIO & FAA at EIC/EIA under RTI Act 2005.

In partial modification of this Office Order No. 52/2024 issued File No. EIC/ADMN/RTI/80001/2024/1055 dated 02nd August, 2024, the Competent Authority has designated Shri Laxman Meena, Assistant Director (Technical) as a ACPIO, Export Inspection Agency – Delhi under section 5 (1) of RTI Act 2005.

This issues with the approval of the Competent Authority.

(Kuldeep Singh)

Deputy Director (Technical)

To,

Shri Laxman Meena
Assistant Director (Technical)
Export Inspection Agency – Delhi

Copy to:-

1. Director (I & Q/C), EIC, New Delhi- for kind information.
2. The Additional Director, EIC, New Delhi- for kind information.
3. The Joint /Deputy Director (I/c), EIA-Chennai/Delhi/Kochi/Kolkata/Mumbai
4. Computer Section – with a request to upload on website.
5. Office Order File.
6. RTI Cell